



फॉर्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III (see Regulation 7(1) D (d))

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं.- ओएचएससी/एल- 5000221

Licence NO. OHSC/L- 5000221

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986(1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्वी अंचल कार्यालय, 502 साउथेंड कानक्लेव, 1582, राजदंगा मैन रोड, कोलकाता - 700107 को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ यगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमोंके संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS 18001:2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby renews/grants to Central Pollution Control Board, Eastern Zonal Office, 502 Southend Conclave, 1582, Rajdanga Main Road, Kolkata – 700107 hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products or processes Particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products shall be manufactured by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems Certification in accordance with IS 18001:2007.

यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत नवीकृत/स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is renewed/granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 12 अक्टूबर 2015 से 11 अक्टूबर 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 12 October 2015 to 11 October 2018 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के अक्टूबर माह के 16th दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
Signed, Sealed and Dated this 16th October, Two Thousand and Fifteen.


उप महानिदेशक
Deputy Director General
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

The Bureau of Indian Standards, Kolkata has granted License for Occupational Health and Safety Management System Certification as per IS 18001:2007 for a period of 3 (Three) years with effects from October,12 2015 to October,11 2018.The scope of the License is as under:

“All activities carried out for testing of Environmental Samples in the Laboratory at Central Pollution Control Board, Eastern Zonal Office, 502 Southend Conclave,1582, Rajdanga Main Road, Kolkata.-700107”

It is also informed that the CPCB’s Laboratory at Eastern Zonal Office, Kolkata is the first Environmental Laboratory among zonal laboratory that has been granted IS 18001:2007 by BIS.